10640
15.12.15

(17)

कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कबीरधाम छ0ग0

दूरभाष—07741—233174, Email ID – dtic-kabirdham.cg@gov.in

क्रं./जिव्याउके/समन्वय./2015/2420 कबीरधाम, दिनांक 11/12/2015

कार्यालय कलेक्टर, कबीरधाम
14 DEC 2015
अधीक्षक, जिला कार्यालय, कबीरधाम
कलेक्टर, कबीरधाम

प्रति,

कलेक्टर,
जिला—कबीरधाम (छ.ग.)

विषय :— जिले के शासकीय बेवसाईट के अद्यतन किये जाने हेतु **आवश्यक डाटा** उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ :— कार्यालय कलेक्टर के पत्र कमांक/884/एन.आई.सी./वेबसाइट /2015 कवर्धा दिनांक 04.12.2015 ।

उक्त विषयान्तर्गत विभाग का ई—मेल पता, संपर्क सुत्र एवं विभाग में संचालित योजनाओ की जानकारी निम्नानुसार है :—

<u>शासन स्तर</u> :—

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,

दूरभाष +91—771—2535434, फैक्स +91—771—2535434

वेबसाईट : **www.industries.cg.gov.in**

<u>राज्य स्तर</u> :—

उद्योग संचालनालय,

उद्योग भवन, भू—तल, रिंग रोड—1, तेलीबांधा, रायपुर 492006

दूरभाष : +91—771—2583652—54, फैक्स : +91—771—2583651

ई—मेल : **dtic-directorate.cg@gov.in**

<u>जिला स्तर</u> :—

महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

दूरभाष : 07741—233174

ई—मेल : **dtic-kabirdham.cg@gov.in**

शासकीय योजनाए :–

(अ) स्थापित पात्र उद्योग इकाईयों को शासकीय औद्योगिक नीति के अनुसार विभिन्न छूट/अनुदान व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना :– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनांतर्गत 18 से 35 वर्ष के बेरोजगारों को राष्ट्रीकृत बैंको के माध्यम से स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण प्रदान किया जाता है व ऋण राशि के अनुसार मार्जिन मनी अनुदान राशि का लाभ दिया जाता है।

(स) राज्य शासन प्रवर्तित योजना :– मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

राज्य के युवाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वारोजगार योजना दिनांक 19.04.2013 से लागू है।

योजनान्तर्गत 18 से 35 वर्ष के आवेदकों को निम्नानुसार उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है :–

विनिर्माण उद्यम	–	अधिकतम परियोजना लागत रू 25.00 लाख
सेवा उद्यम	–	अधिकतम परियोजना लागत रू 10.00 लाख
व्यवसाय उद्यम	–	अधिकतम परियोजना लागत रू 02.00 लाख

हितग्राहियों को क्रेडिट गारंटी शुल्क, ब्याज अनुदान, व मार्जिन मनी अनुदान राशि की पात्रता होती है।

Hema

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
कबीरधाम (छ.ग.)